न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 95/2013

1. मैनादेवी पत्नी बालकिशन
2. अर्जुनराम पुत्र बालकिशन
3. संगीत पुत्री बालकिशन

} जाति नायक निवासीगण 17 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान जरिये जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।
2. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे उद्योग विहार श्रीगंगानगर ।

–रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर

दिनांक 22.02.2013

उपस्थितः–

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक अपीलांट

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 29.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार श्रीगंगानगर (शिविर चक 4 जैड) में एक प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ.की धारा 177 का पेश कर कथन किया कि चक 17 एम.एल. के मु.नं. 11 की 1.253 है0 भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। मौका पर उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाकर प्लांट काटकर कॉलोनी बनाकर काफी प्लांटों में आवासीय मकान

29/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बनाये गये है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अकृषि कार्य किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. कर अप्रार्थीगण के नोटिस समाचार पत्र में साया करवाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं दिनांक 22.02.2013 को विवादित भूमि बहक सरकार लेने के आदेश दिये गये उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण को बिना सुने पारित किया गया हैं आदेश पारित करने से पूर्व अधी. न्यायालय ने कोई कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी, जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आरबीजे (24)2017 पेज 419 की नजीर पेश की ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा कृषि भूमि पर गैर कृषि कार्य किया जा रहा था जिस पर तहसीलदार ने अधी. न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जो अधी.न्यायालय ने स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 22.02.2013 के विरूद्ध दिनांक 25.06.2013 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने

29/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलार्थी की मुख्य आपत्ति है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तामील करवाने की प्रकिया की पालना नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त आरबीजे 2017 पेज 419 के पैरा संख्या 8 की Bare-reading है कि 8. We have examined the application preferred by the applicant under Order 5 Rule 20 C.P.C.. the averments of that reads as follows:-

"2. That in pursuance to the said direction, the appellant has made endeavour to trace out present address of the respondent. however, he could not find out the same.

3. That it is submitted that the address of the respondent as mentioned in the cause title of the present appeal is her last known address to the appellant and before the learned Trial Court below also, notices of the divorce petition were served upon the respondent on the same address. It is, thus, clear that the respondent is avoiding service and in this view of the matter as also in the interest of justice, it is necessary to permit the humble appellant to get the notices sewed upon the unserved respondent through substituted service i.e., by way of publication of notices in a daily newspaper having wide circulation in the District-Bhilwara (Rajasthan) where the respondent was known to have last resided."

इसके अतिरिक्त अधी.न्यायालय की पत्रावली के पृष्ट ए–3/5 मानचित्र के अनुसार मौके पर आबादी व प्लाट होना दर्शाया गया है जिसका खंडन अपीलार्थीगण ने नहीं किया है। उक्त कृषि भूमि पर गैर कृषि कार्य किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से किया गया हो ऐसा कोई कथन अपीलांट द्वारा अपनी अपील में नहीं किया गया है। अपील में अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात भी अपीलांट यह साबित नहीं कर पाये कि विवादित भूमि पर गैर कृषि कार्य यानि प्लाट आदि नहीं काटे गये। ऐसी स्थिति में

29/1/18

अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जो आदेश पारित किया है। उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर